संख्या 617/चौवालिस-2-15/88

प्रेषक,

श्रीमती नीरा यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित,
   शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।
2. राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/
   नोएडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 12 मई, 1988

विषयः— औद्योगिक इकाईयों में नियुक्ति हेतु स्थानीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को अवसर की समानता के आधार पर वरीयता दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं० 23/25/1973- कार्मिक–2, दिनांक 15 जून, 1985 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की जानकारी में लाया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाली औद्योगिक इकाइयों या राज्य सरकार के नियंत्रण में स्थापित किये जाने वाले प्रतिष्ठानों के लिए भूमि अध्याप्ति के कारण विस्थापित परिवारों के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वरीयता नहीं दी जा रही है जबकि इस सम्बन्ध में शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि समस्त सरकारी विभागों/अधिष्ठानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों/निगमों में भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को, उस अध्याप्ति भूमि में लगाये जा रहे प्रोजेक्ट में, योग्यता के अनुसार, बिना किसी वेतन सीमा के प्रतिबन्ध के, सम्बन्धित नियोजक द्वारा, उपयुक्त पद पर (ऐसे पदों को छोड़कर जो लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं) अवश्य ही नौकरी दी जाय तथा समस्त सार्वजनिक उद्यमों में उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस कार्य के प्रति, विशेष रूप से किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

2. अतएव आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित किये गये आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कृपया उक्त निर्णय से आप अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
[नीरा यादव]
सचिव।

संख्याः617 (1)/44-2-15/88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, रायबरेली को उनके अ०शा०प०सं० एफ०जी०यू०टी०पी०/87-88, दिनांक 18 अप्रैल, 1988 के क्रम में।
(4) फिरोज गांधी तापीय विद्युत परियोजना, रायबरेली,
(5) विद्युत उत्पादन परिषद्, रायबरेली,
(6) सचिवालय के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित प्रशासकीय अनुभाग।

आज्ञा से,
[राजेश्वर नारायण सिन्हा]
अनु सचिव।